कार्यालय मुख्य अभियन्ता(हाइडिल)
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
कमरा नं0: 626/627 छठवॉ तल, शक्ति भवन विस्तार
14–अशोक मार्ग, लखनऊ।

पावर कार्पोरेशन लिमिटेड
उ0प्र0 सरकार का उपक्रम

दूरभाष 0522–2218464

aopension.cehydel@gmail.com

संख्या: 1400 / ले0अधि0(पें0)/मु0अभि0(हा0)/दिनांक: 13/10/17

ई0 मेल
स्पीड–पोस्ट

प्रबन्ध निदेशक,
मध्यांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/
पूर्वांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/
दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा/
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ/
उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ/
केस्को, कानपुर।

अति महत्वपूर्ण,
अनुपालन हेतु

विषयः– अनंतिम उपादान स्वीकृत किए जाने के सम्बन्ध में।

कृपया उक्त के सम्बन्ध में कारपोरेशन आदेश संख्या 1536–पीएण्डआर–28/पाकालि/2003–46पी/89 दिनांक 21.05.03 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा पेंशन स्वीकर्ता अधिकारियों के लिए दिशा–निर्देश के बिन्दु संख्या 4 में निम्नलिखित अंकित है:–

"विभागीय/न्यायिक कार्यवाही से आच्छादित मामलों में अन्तिम रूप से पेंशन न स्वीकृत की जाये। ऐसे मामलों में कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा मामले में अन्तिम निर्णय तक अनंतिम पेंशन स्वीकृत की जायेगी किन्तु ग्रेच्यूटी रूकी रहेगी"। सी0एस0आर0 का अनुच्छेद 351 'क' 'क'।

अवगत कराना है कि सम्बन्धित खण्ड कार्यालयों से अवर अभियन्ताओं के प्रेषित किए जाने वाले अन्तिम पेंशन/ग्रेच्यूटी के प्रकरण का निस्तारण तब तक नही किया जाता है जब तक कि मुख्य अभियन्ता(हाइडिल) के डी0पी0 अनुभाग, उ0प्र0 पाकालि के सभी डी0पी0 अनुभाग एवं सम्बन्धित कार्यालय/प्रबन्ध निदेशक कार्यालय स्तर से अनुशासनिक कार्यवाही/जाँच आदि की सूचना प्राप्त नही हो जाती है।

उक्त सम्बन्ध में सूचनीय है कि खण्ड कार्यालयों से प्राप्त पेंशन प्रकरणों के परीक्षण करने पर उक्त आदेश के विपरीत बिना डी0पी0 आदि की सूचना प्राप्त किए ही सेवानिवृत्त अवर अभियन्ताओं के अनंतिम पेंशन स्वीकृत किए जाने के साथ–साथ उन्हें अनंतिम उपादान के रूप में 90 प्रतिशत या उससे अधिक के राशि की स्वीकृति भी प्रदान की जा रही है, जो पेंशनरी प्राविधानों के विपरीत है। यह भी सूचनीय है कि अवर अभियन्ताओं के अन्तिम पेंशन/उपादान राशि स्वीकृति हेतु खण्ड कार्यालयों से प्राप्त प्रकरणों की जब इस कार्यालय स्तर पर जाँच की जाती है, तब यह पता चलता है कि उन अवर अभियन्ताओं के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही/विविध अग्रिम का प्रकरण चल रहा है। इस प्रकार खण्ड कार्यालयों द्वारा अवर अभियन्ताओं के अनंतिम उपादान की राशि इस कार्यालय को अन्तिम पेंशन/ग्रेच्यूटी के प्रकरण स्वीकृति हेतु भेजने से पूर्व ही स्वीकृत कर दिए जाने के कारण उनके विविध अग्रिम आदि का समायोजन कारपोरेशन द्वारा किया जाना सम्भव नही हो पाता है, जिसके कारण विभाग को आर्थिक क्षति होने की सम्भावना बनी रहती है।

उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया खण्ड कार्यालयों को कारपोरेशन आदेश 1536 दिनांक 21.05.03 में अंकित दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किए जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में कारपोरेशन को होने वाली क्षति के समायोजन हेतु उत्तरदायित्व स्वीकृतिकर्ता अधिकारी का होगा।

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता(हाइडिल)
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
कमरा नं0: 626/627 छठवॉं तल, शक्ति भवन विस्तार
14–अशोक मार्ग, लखनऊ।

दूरभाष 0522–2218464

aopension.cehydel@gmail.com

संख्याः 1400/ ले0अधि0(पें0)/मु0अभि0(हा0)/तद्दिनांकः 13/10/17

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

संख्याः 1400/ ले0अधि0(पें0)/मु0अभि0(हा0)/तद्दिनांकः 13/10/17

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा)/(नियोजन)/(कम्प्यूटराइजेशन)/(सामग्री प्रबन्ध)/(जांच समिति)/(रेस्पों)/(नियंत्रण एवं अनुश्रवण इकाई)/(ऊर्जा क्रय अनुबन्ध निदेशालय)/सचिव, विद्युत सेवा आयोग/निदेशक(विद्युत प्रशिक्षण संस्थान)/अधीक्षण अभियन्ता (जानपद) मुख्यालय।

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

संख्याः 1400/ ले0अधि0(पें0)/मु0अभि0(हा0)/तद्दिनांकः 13/10/17

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ को पाकालि के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)